भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3322

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई संबंधी नीति

3322 डा. अशोक बाजपेयीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में पिछले बकाया (बैकलॉग) मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सरकारी नीति और इसकी सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों की वर्चुअल सुनवाई से दूर-दराज के अल्प सुविधा प्राप्त वादियों को मदद मिली है ;

(ग) क्या देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है ; और

(घ) वादी की तरजीह पर सुलभता से न्याय पाने के लिए स्थायी सुविधा के तौर पर न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई को जारी रखने के लिए नीति और सरकार के प्रयासों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों,

सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई अन्य कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है ।

(ख) से (घ) : वर्चुअल सुनवाई की सुविधा देश के उच्चतम न्यायालय साथ ही साथ उच्च न्यायालयों में उपलब्ध है । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.01.2022 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,11,40,223 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 60,21,6188 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.71 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 14.03.2022 तक 2,18,891 सुनवाइयां कीं थी । वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के संचालन में एकरूपता लाने और उनके मानकीकरण के लिए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया था, जिसने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय सुनवाई को विधिक पवित्रता और विधिमान्यता प्रदान की । इसके अतिरिक्त, पांच न्यायाधीश समिति द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग नियम बनाए

गए थे, जो स्थानीय प्रासंगिकता के पश्चात् अंगीकरण हेतु सभी न्यायालयों को परिचारित किए गए थे । कुल 23 उच्च न्यायालयों ने वीडियो कांफ्रेसिंग नियम कार्यान्वित किए हैं । सभी न्यायालय परिसरों को जिसके अंतर्गत तालुक स्तर के न्यायालय भी हैं, प्रत्येक को एक, वीडियो कांफ्रेसिंग उपस्कर उपलब्ध कराया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेसिंग उपस्कर के लिए अतिरिक्त निधियां भी मंजूर की गई हैं । 2506 वीडियो कांफ्रेसिंग केबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध की गई हैं । अतिरिक्त 1500 वीडियो कांफ्रेसिंग अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के मध्य पहले ही वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा समर्थित है । 1732 दस्तावेज विजुअलाइजर्स के उपापन हेतु 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों की वर्चुअल सुनवाई ने वंचित वादकारियों सहित वादकारियों की सहायता की है, चूंकि यह वादकारियों को अपने पसंद के किसी भी स्थान से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में सहायता करता है, इस प्रकार यह समय और धन की काफी बचत करता है । इसने विशिष्टतया कोविड महामारी के दौरान कमजोर वर्ग के वादकारियों सहित संपूर्ण विधिक पारितंत्र की न्याय परिदान प्रणाली को सहारा देने में भी सहायता की थी, जब लॉकडाउन और सामाजिक दूरी प्रोटोकॉल के कारण न्यायालय में सामूहिक रीति से सुनवाई नहीं हो सकती थी । तथापि, वर्चुअल सुनवाई के साथ खुले भौतिक न्यायालयों में सुनवाई करना एक प्रशासनिक मामला है जिसका विनिश्चय करना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आता है ।

****